न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा (राज)
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
16 / 2022	27 / 04 / 2022	26 / 07 / 2023

उनवान

1. देवेश कुमार उर्फ देवेन्द्र कुमार पुत्र कँवरलाल, जाति–मेहर, निवासी–छावनी कोटा राज.
2. चेतन पुत्र स्व. दुलीचन्द, जाति–मेहर, निवासी–छावनी कोटा राज.

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. बसन्तीबाई पत्नी स्व0 रामप्रसाद, जाति–मेहर, निवासी–महारानी स्कूल की गली में सुलभ कॉम्पलेक्स के पास, रामपुरा कोटा राज.
2. रेणू पुत्री स्व0 रामप्रसाद, पत्नि राजेन्द्र, जाति–मेहर, निवासी–सुलभ कॉम्पलेक्स के पास, बून्दी चबूतरा, कोटडी गोरधनपुरा कोटा राज.
3. संतोष पुत्री स्व0 रामप्रसाद, पत्नि रामचरण, जाति–मेहर, निवासी–धाकडखेडी नाले के पास, मंदिर के पास कोटा राज.
4. दिनेश पुत्र स्व0 बाबूलाल, जाति–मेहर, निवासी–शिव मंदिर के पास, शुभम मैरिज गार्डन के पीछे, उत्तम नगर, बोरखेडा कोटा राज.
5. रेखा पुत्री स्व0 बाबूलाल, पत्नि विजेन्द्र, जाति–मेहर, निवासी–पानी की टंकी के पास मोखापाडा, रामपुरा कोटा राज.
6. मुन्ना उर्फ रविन्द्र पुत्र स्व0 मथुरालाल, जाति–मेहर, निवासी–सुलभ कॉम्पलेक्स के पास, बून्दी चबूतरा, कोटडी गोरधनपुरा कोटा राज.
7. निर्मला पुत्री स्व0 दुलीचन्द, जाति–मेहर, निवासी–छावनी कोटा राज.
8. निशा पुत्री स्व0 दुलीचन्द, जाति–मेहर, निवासी–छावनी कोटा राज.
9. शशि पुत्री स्व0 दुलीचन्द, जाति–मेहर, निवासी–छावनी कोटा राज.
10. संतोष कुमारी पत्नि देवेश कुमार, जाति–मेहर, निवासी–छावनी कोटा राज.
11. निपुन पुत्र रामसेवक, जाति–मेहर, निवासी–रामचन्द्रपुरा कोटा राज.
12. शुभेन्द्र पुत्र रामसेवक, जाति–मेहर, निवासी–रामचन्द्रपुरा कोटा राज.
13. गजेन्द्र पुत्र केसरीलाल, जाति–खटीक, निवासी–इटावा जिला कोटा राज.
14. हंसराज पुत्र केसरीलाल, जाति–खटीक, निवासी–इटावा जिला कोटा राज.
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण एवं काउन्टरक्लेम अप्रार्थी कम–13 व 14 अर्न्तगत धारा–212 आर.टी. एक्ट

उपस्थित अधिवक्तागण–

श्री कमल कुमार बंसल – वकील प्रार्थी

श्री भागवन्त सिंह आसावत – वकील अप्रार्थीकम–1 ता 5

श्री इन्द्रजीत मीना – वकील अप्रार्थीकम–1 ता 5

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
इटावा जिला कोटा

प्रार्थीगण द्वारा इस आशय का प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर टी एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि–

यह कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत कर किया गया है। जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। यह कि प्रार्थना पत्र से संबंधित खसरा संख्या 650 रकबा 3.60 है0, खसरा संख्या 1167 रकबा 2.50 है0, खसरा संख्या 672 रकबा 1.60 है0, कृषि भूमि ग्राम इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा राज. के माल में स्थित है। जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि कहा गया है। यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1–6 तथा प्रतिवादी कम 7, 8, 9, एक ही कुटुम्ब के सदस्य है। जिनका वंशवृक्ष प्रस्तुत किया। यह कि बंदोबस्त सम्वत् 2041–2060 के पूर्व से ही प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण तथा उनके पूर्वपुरूषों के मध्य ग्राम इटावा की लगभग 54 बीघा 9 बिस्वा भूमि का पारस्परिक सहमति से विभाजन हो चुका था। जिसके अनुसार वे विभाजन में प्राप्त अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे थे। उनके द्वारा उक्त आशय का सहमति पत्र बंदोबस्त अधिकारियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था। किन्तु बंदोबस्त सम्वत् 2041–2060 के पश्चात त्रुटिवश ग्राम इटावा की कुल खसरा 7 कुल रकबा 9.67 है0 भूमि दुलीचन्द पुत्र देविया हिस्सा 1/3 मांगीलाल, बाबूलाल, रामप्रसाद, मुन्ना पुत्र मथुरालाल हिस्सा 1/3 कंवरलाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/3 जाति मेहर की संयुक्त खातेदारी में अंकित हो गई। यह कि राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित नहीं होने के कारण मथुरा लाल की पुत्रियों गुलाबबाई तथा सीताबाई द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष दुलीचन्द, बाबूलाल, रामप्रसाद, मुन्ना तथा देवेश कुमार के विरूद्व राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जो अन्तरित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 216/2001 पर पंजीबद्ध किया गया जिसमें बाबूलाल, रामप्रसाद व मुन्ना बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। कालान्तर में दिनांक 04.06.2004 को माननीय न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के मध्य आपसी समझाइश व लोक न्यायालय की भावना से निम्न आशय का राजीनामा बाबत बंटवारा हो जाने से उक्त वाद अनुसारतः निस्तारित हो गया –

(अ) खसरा संख्या 269 रकबा 0.35 है0, खसरा संख्या 270 रकबा 0.11 है0, खसरा संख्या 271 रकबा 1.50 है0, भूमि आर.एस.ई.बी के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है, जिसका मुआवजा हमने प्राप्त कर लिया है एवं आपसी समझाइश से मुआवजे कर राशि का बंटवारा कर लिया गया है। इस भूमि का कोई विवाद नहीं है।

(ब) दुलीचन्द वल्द देवा के हिस्से की कृषि आराजी
खसरा संख्या 650 रकबा 3.60 है0 में से 1.44 है0
खसरा संख्या 1167 रकबा 2.50 है0 में से 1.60 है0

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

(स) देवेश कुमार पुत्र कंवरलाल के हिस्से की कृषि आराजी
खसरा संख्या 650 रकबा 3.60 है0 में से 2.16 है0
खसरा संख्या 1167 रकबा 2.50 है0 में से 0.90 है0

(द) गुलाब बाई, रामप्रसाद, मुन्ना, सीताबाई, बाबूलाल पि. मथुरालाल के हिस्से की कृषि आराजी खसरा संख्या 672 रकबा 1.60 है0

(ई) खसरा संख्या 1774 रकबा 0.01 है0 जो बाडा है, जो कि हमने शामलाती रूप से रामचन्द्र सुनार को विक्रय कर दिया है।

यह कि हम सभी पक्षकारान में मध्य राजीनामा हो गया है, भविष्य में उक्त आराजी बाबत् कोई विवाद नहीं करेगें, और इसी प्रकार काश्त करते रहेगें। भविष्य में हक संबंधित, इसी भूमि संबंधी अधिकार अथवा घोषणा अथवा बंटवारे का कोई भी पक्षकार एक दूसरे के विरूद्ध कोई वाद विवाद नहीं करेगें, ताकि इस राजीनामा से पाबन्द रहेगें।

यह कि रामप्रसाद व मन्ना के विरूद्ध दिनांक 12/04/1999 को तथ बाबूलाल के विरूद्ध दिनांक 25/11/2000 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी थी किन्तु चूँकि वे उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित थे इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष वाद संख्या–216/2001 में हुये राजीनामा बाबत बंटवारा दिनांक 04.06.2004 सभी खातेदारान पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है।

यह कि इस प्रकार उक्त राजीनामा से सभी सहखातेदार पाबंद हैं। उक्त राजीनामा बाबत बंटवारा सभी सहखातेदारों के मध्य बंदोबस्त से पूर्व हुये सहमति विभाजन के अनुसार ही हुआ है तथा सभी पक्षकार इसी अनुरूप ही काबिज काश्त है। रामप्रसाद व बाबूलाल की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 है तथा दुलीचन्द की भी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान प्रार्थी तथा अप्रार्थीक्रम 7 ता 9 है। अप्रार्थीगण 7 ता 9 द्वारा वाद प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण उन्हें अप्रार्थी के रूप में संयोजित किया गया है उनके विरूद्ध कोई अनुतोष वंछित नहीं है। अप्रार्थीक्रम 10–14 विवादित भूमि के अनुसारतः हिस्सा भूमि के क्रेता सह खातेदार होने के कारण सह खातेदार के रूप में संयोजित है। उनके विरूद्ध कोई अनुतोष वांछित नहीं है।

यह कि सभी सहखातेदारों के मध्य हुये सहमति विभाजन के फल स्वरूप गुलाबबाई, रामप्रसाद, मुन्ना, सीताबाई, बाबूलाल पि0 मथुरालाल को प्राप्त हुई खसरा संख्या 269 रकबा 0.35 है0, खसरा संख्या 270 रकबा 0.11 है0, खसरा संख्या 271 रकबा 1.50 है0, भूमि आर.एस.ई.बी के द्वारा अधिग्रहित कर लिये जाने के पश्चात उसका मुआवजा भी केवल गुलाबबाई, रामप्रसाद, मुन्ना, सीताबाई, बाबूलाल पि0 मथुरालाल को दे दिया गया था।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोर्ट

यह कि इस प्रकार पारिवारिक विभाजन में प्राप्त भूमियों में से गुलाबबाई, रामप्रसाद, मुन्ना, सीताबाई, बाबूलाल पि0 मथुरालाल के पास इटावा खसरा संख्या 672 रकबा 1.60 है0, शेष भूमि रही, जो भी गुलाबबाई, मुन्ना, सीताबाई, पि0 मथुरालाल द्वारा प्रतिवादी क्रम 10 को विक्रय कर दी गई। रामप्रसाद, बाबूलाल की मृत्यु हो चुकी है, जिनके प्रतिवादी क्रम 1–5 विधिक प्रतिनिधी है। अतः इस प्रकार प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि में अप्रार्थी क्रम 1–5 का नाम विलोपित किये जाने योग्य है। तदर्थ वाद प्रस्तुत है।

यह कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि में हो रहे ऊपर वर्णित त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण वादीगण को घोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान दूषित राजस्व अभिलेख की आड में अप्रार्थी क्रम 1–5 प्रार्थीगण को कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने तथा विवादित भूमि को अन्यत्र संक्रामित आदि करने की धमकी दे रहे हैं। अतएव प्रार्थीगण के लिए अप्रार्थीक्रम 1–6 के विरूद्व माननीय न्यायालय की सहायता से मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित करवाना आवश्यक हुआ। तदर्थ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थना पत्र नियत न्यायशुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

यह कि माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवम क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः विनय है कि मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्व अप्रार्थी क्रम 1–6 निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि –

(अ) कि वे स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधि विवादित भूमि में वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे–काश्त, कृषि कार्य में किसी प्रकार की बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, उक्त भूमि में प्रवेश नहीं करे, ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों अथवा एजेन्टो से करावे।

(ब) कि अप्रार्थी क्रम 1–5 विवादित भूमि को अन्यत्र संकामित नहीं करे।

अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि –

यह कि प्रार्थनापत्र की मद नं. 1 अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में मुताबिक राजस्व रिकार्ड भूमि होना स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थनापत्र की मद नं. 4 अस्वीकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पूर्वजों के मध्य कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा ना ही सेटलमेंन्ट विभाग को विभाजन सम्बन्धित कोई अधिकार प्राप्त है। विशेष कथन अवलोकनीय है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीकम 1 ता 5 के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है। यदि प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 ता 5 से इतर किन्हीं अन्य अप्रार्थीगण के मध्य कभी कोई राजीनामा हुआ है तो वह अप्रार्थीकम 1 ता 5 के विरूद्व कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है। विशेष कथन अवलोकनीय है।

यह कि प्रार्थनापत्र की मद नं. 6 अस्वीकार है। अप्रार्थी कम 1 ता 5 के पूर्वज किसी वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित होने मात्र से अन्य पक्षकारान के मध्य होने वाले किसी राजीनामा अप्रार्थीकम 1 ता 5 के विरूद्व कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है। विशेष कथन अवलोकनीय है।

यह कि प्रार्थनापत्र की मद नं. 7 जिस प्रकार लिखी गयी है अस्वीकार है। विशेष कथन अवलोकनीय है।

यह कि प्रार्थनापत्र की मद नं. 8 अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थनापत्र की मद नं. 9 में अप्रार्थीकम 1 ता 5 स्व0 रामप्रसाद व बाबूलाल के विधिक प्रतिनिधि होना स्वीकार है शेष मद अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थनापत्र की मद नं. 10 अस्वीकार है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की निषेधाज्ञा अप्रार्थीकम 1 ता 5 के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, विशेष कथन अवलोकनीय है।

यह कि प्रार्थनापत्र की मद नं. 11 अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थनापत्र की मद नं. 12 अस्वीकार है।

प्रार्थना प्रार्थी अस्वीकार है ।

प्रार्थना वादी कर कथन किया कि –1. यह कि विवादित आराजी ग्राम इटावा तह0 पीपल्दा कोटा राज0 ख0न0 650 रकबा 3.60 है0, ख0न0 1167 रकबा 2.50 है0, ख0न0 672 रकबा 1.60 है0 भूमि अप्रार्थी कम 1 ता 5 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। संयुक्त खातेदारान के विरूद्व प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। 2. यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 ता 5 के पूर्वजों के मध्य कभी कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा तथा न ही सेटलमेंन्ट विभाग को विभाजन सम्बन्धित कोई अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीकम 1 ता 5 के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है। यदि प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण के मध्य कभी कोई राजीनामा हुआ है तो वह अप्रार्थीकम 1 ता 5 के विरूद्व कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है। अप्रार्थी कम 1 ता 5 के पूर्वज किसी वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित होने मात्र से अन्य पक्षकारान के मध्य होने वाला कोई राजीनामा अप्रार्थी कम 1 ता 5 के विरूद्व कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है, इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व चलने योग्य नहीं है। 3. यह कि विवादित आराजी

...क कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

प्रार्थीगण व अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 की पैतृक आराजी है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है प्रार्थीगण बिना विभाजन करवाये अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है। 4. यह कि प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में न ही है न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होनी है उपरोक्त बिन्दुओं के मद्येनजर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे कि अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे प्रदान करें।

बहस अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र अप्रार्थी क्रम 13 व 14 पर सुनी गयी तथा वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया। प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा तीन अवधारणीय बिन्दुओं –प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जाना है। उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में क्रमवार विवेचन निम्न प्रकार है–

<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>

उपरोक्त बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थनापत्र ग्राम इटावा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की भूमि वाके ग्राम इटावा जिला कोटा राज0 खसरा संख्या 650 रकबा 3.60 है0, खसरा संख्या 1167 रकबा 2.50 है0, खसरा संख्या 672 रकबा 1.60 है0 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण का यह मुख्य अभिकथन यह है कि विवादित आराजी का पारस्परिक सहमति से विभाजन हो चुका है तथा सहमति पत्र भी बन्दोबस्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के मध्य विवादित भूमि वाके ग्राम इटावा के सम्बन्ध में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक–04/06/2004 को पूर्व में चले प्रकरण संख्या–216/2001 में विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजीनामा हो चुका है तथा जो अप्रार्थीगण के लिए बाध्यकारी है तथा राजीनामा दिनांक–04/06/2004 के आधार पर प्रार्थीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 का नाम विवादित आराजी पर हटाया जावे। प्रार्थीगण के स्वयं के कथन व पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पूर्व प्रकरण संख्या–216/2001 में रामप्रसाद व मुन्ना तथा बाबूलाल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो चुकी थी। प्रार्थीगण द्वारा वाद में चाहा गया मुख्य अनुतोष भी राजीनामा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

दिनांक–04/06/2004 के आधार पर प्रार्थीगण को खातेदार दर्ज किये जाने तथा अप्रार्थीकम 1 ता 5 का नाम विवादित आराजी पर हटाये जाने का चाहा गया है। प्रार्थीगण द्वारा कथित राजीनामा जो पूर्व प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, पर पूर्व वाद में वादी गुलाब बाई, तथा दुलीचन्द व देवेश कुमार के ही हस्ताक्षर है जबकि प्रकरण में अन्य सहखातेदार भी पक्षकार थे। अप्रार्थीकम 1 ता 5 के पूर्वज रामप्रसाद व बाबूलाल के राजीनामा पर हस्ताक्षर नहीं है इस कारण कुछ पक्षकारों के मध्य हुआ राजीनामा अप्रार्थीकम 1 ता 5 के विरूद्ध बाध्यकारी नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा वाद में चाहा गया अनुतोष राजीनामा दिनांक–04/06/2004 के आधार पर प्रार्थीगण को खातेदार दर्ज किये जाने तथा अप्रार्थीकम 1 ता 5 का नाम विवादित आराजी पर हटाये जाने प्रदान बाबत प्रदान किये जाने योग्य नहीं है। न्यायालय के मत में विवादित आराजी का विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है तथा बन्दोबस्त विभाग को विभाजन के अधिकार प्राप्त नहीं थे। प्रकरण में अप्रार्थी कम 13 व 14 द्वारा काउन्टर क्लेम प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी है, अप्रार्थीकम 13 व 14 विवादित भूमि पर अजनबी केता है जो प्रकरण में बिना विभाजन अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है। अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थीकम 13 व 14 को प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 13 व 14 अपने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र व काउन्टर प्रार्थनापत्र में सारवान प्रश्न को सद्भाविक रूप से दर्शाने में असफल रहे हैं ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 13 व 14 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है।

<u>सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति–</u>

सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रकरण में जब प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है तब ऐसे प्रकरणों में सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति की निषेधाज्ञा प्रसारित नहीं की जा सकती है। चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 13 व 14 हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है तो ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर भी प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 13 व 14 के पक्ष में प्रसारित नहीं किया जा सकता है इस कारण उपरोक्त बिन्दु को भी प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 13 व 14 के विरूद्ध तय किया जाता है।

चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीकम 13 व 14 प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित करने

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

में असफल रहे हैं अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 13 व 14 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 13 व 14 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक–26/07/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा